आदेश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अपर समाहर्ता, रामगढ को जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का विशेष नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) नामित किया जाता है। जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का जिले में सफल संचालन कराना सुनिश्चित करेगें। साथ ही रामगढ जिले को धुम्रपान मुक्त जिला धोषित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगें। यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

उपायुक्त—सह—अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, रामगढ।

ज्ञापांक <u>07 (cs)</u> / रामगढ

दिनांक 11 /01/2017

प्रतिलिपि :

सभी नामित सदस्यों / सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला रामगढ / जिला शिक्षा पदाधिकारी रामगढ / उपाधीक्षक सदर अस्पताल, रामगढ / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, रामगढ / / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ . जिला अर्न्तगत / सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, रामगढ / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, रामगढ / सभी कार्यालय प्रधान, रामगढ जिला अर्न्तगत / श्रम अधीक्षक, रामगढ / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), रामगढ , जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, रामगढ, / अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ / असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ / उप—विकास आयुक्त, रामगढ / पुलिस अधीक्षक, रामगढ को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त—सह—अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, रामगढ ।

ज्ञापांक 07 (Cs)

/ रामगढ

दिनांक 11 | 01 | 2017

े प्रतिलिपि :

श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society

(SEEDS) एवं श्री आशीष पांण्डे, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :

राज्य नोडल पदाधिकारी, एन०सी०डी० सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वा०चि० एवं शि० प०क० विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

जपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय

समिति, रामगढ ।

अधिसूचना

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce Production, Supply and Distribution Act 2003 (COTPA-2003) को रामगढ जिला में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 16/NTPC/13 राँची दिनांक 09.05.2013 के आलोक में उपायुक्त—सह—अध्यक्ष, रामगढ की अध्यक्षता में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति District Tobacco Control Coordination Committee (DTCCC) का गठन इस कार्यालय के पत्रांक (NCD) रामगढ, दिनांक:—!!//०///>
किया जाता है। निम्न पदाधिकारियों को जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है।

| 1. | उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, रामगढ | : | अध्यक्ष |
|-----|--|---------|------------------------|
| 2. | जिला पुलिस अधीक्षक, रामगढ | : | सदस्य |
| 3. | असैनिक भाल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चि० पदा०, रामगढ | : | सदस्य सचिव |
| 4 | अपर समाहर्ता-सह-विशेष नोडल पदा०,तंबाकू नियंत्रण रामगढ: | : | सदस्य-सह-मुख्य समन्वयक |
| 5. | उप–विकास आयुक्त, रामगढ | : | सदस्य |
| 6. | जिला नोडल पदा0, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, रामगढ | : | सदस्य-सह-समन्वयक |
| 7. | उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, रामगढ | 17,0740 | सदस्य |
| | अपर मुख्य चिकित्सा पदा०, रामगढ | : OF | सदस्य |
| | जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ | : | सदस्य |
| | जिला जनसम्पंक पदाधिकारी, रामगढ | 100 | संदर्य |
| | जिला परिवहन पदाधिकारी, रामगढ | : | सदस्य |
| | जिला खाद्य सुरक्षा पदा० रामगढ | : | सदस्य |
| | औशधि निरीक्षक, रामगढ | : | सदस्य |
| | अध्यक्ष, आई०एम०ए०, रामगढ | : | सदस्य |
| | सचिव, भारतीय रेडकॉस समिति, रामगढ | : | सदस्य |
| | सचिव, रोटरी कल्ब, रामगढ | : | सदस्य |
| | प्रतिनिधि, सोसियो इकानोमिक एण्ड ऐजुकेशनल | | |
| | डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) | : | सदस्य |
| 18. | प्राचार्य, रामगढ कॉलेज, रामगढ | : | सदस्य |
| | | | |

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम से संबंधित विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित हैं:--

- > COTPA -2003 को पूरे रामगढ जिले में प्रभावी रूप से लागू करवाने, चालान (दण्ड) व्यवस्था भाुरू करने तथा मुल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।
- > तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से कियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।
- > रामगढ जिले / प्रखण्डों की अनुश्रवण / रहनुमाई समिति का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाना है।
- > यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहें हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कितने मामले में फैसला लिया गया है।
- > तंबाकू संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा प्रखण्ड रत्तरीय समिति को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।
- > भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4,5,6 एवं 7 के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों में कार्रवाई करना तथा राज्य/जिला स्तरीय समिति को सूचित करना।
- > DTCCC की त्रैमासिक मनोनीत सदस्यों की बैठक सुनिश्चित करना।

> तम्बाक और संबंद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष@surrogate विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रकिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना।

> उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, रामगढ ।

ज्ञापांक 03 (CS) / रामगढ , दिनांक 11/01/2017.

सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेशित

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, रामगढ ।

जापांक 03 (cs)

दिनांक. 11/01/2017.

प्रतिलिपि:

श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society

(SEEDS) एवं श्री आशीश पांण्डे, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

राज्य नोडल पदाधिकारी, एन०सी०डी० सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेशित। प्रतिलिपि:

अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेशित। प्रतिलिपि :

अपर मुख्य सचिव, स्वा०चि० एवं शि० प०क० विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेश्नित। प्रतिलिपि:



आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 11.01.2017 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, रामगढ एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय उन्मुखीकरन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ जिला स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी /गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंधनकर्ता पर नियमानुसार चालान / जुर्माना (रूपये 200 / — तक) की कार्यवाही सुनिश्चत करेंगी।

जिला स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे:-

| 1. | अपर समाहर्त्ता—सह—विशेष नोडल पदा०,तंबाकू नियंत्रण | _ | अध्यक्ष |
|-----|---|-----|---------|
| 2. | आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय) | _ | सदस्य |
| 3. | जिला परिवहन पदाधिकारी | _ | सदस्य |
| 4. | जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी | · - | सदस्य |
| | औषधि निरीक्षक | · — | सदस्य |
| 6. | जिला शिक्षा पदाधिकारी | 2 | सदस्य |
| 7. | जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला स्वास्थ्य समिति) | - | सदस्य |
| | श्रम अधीक्षक, रामगढ | - | सदस्य |
| 9. | संबंधित थानाध्यक्ष | _ | सदस्य |
| 10. | जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) | - | समन्वयक |
| | | | |

जिला नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण इस छापामार दस्ते के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित करेंगे। साथ ही प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त-सह-अध्यक्षे जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, रामगढ ।

ज्ञापांक 10 (CS) / रामगढ दिनांक 16/01/2017

प्रतिलिपि :

प्रतिलिपि:

सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला रामगढ /जिला शिक्षा पदाधिकारी रामगढ /उपाधीक्षक सदर अस्पताल, रामगढ /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, रामगढ /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ जिला अर्न्तगत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, रामगढ /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, रामगढ / सभी कार्यालय प्रधान, रामगढ जिला अर्न्तगत/श्रम अधीक्षक, रामगढ /पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), रामगढ / जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, रामगढ,/अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ/ असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ / उप—विकास आयुक्त, रामगढ / पुलिस

अधीक्षक, रामगढ को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला जनसम्पंक पदाधिकारी, रामगढ को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगें।

तेलिपि :

प्रतिलिपि:

ज्ञापांक 10 (CS) / रामगढ दिनांक 16/01) 2617

श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री आशीष पांण्डे, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

राज्य नोडल पदाधिकारी, एन०सी०डी० सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि:

अपर मुख्य सचिव, स्वा०चि० एवं शि० प०क० विभाग, झारखण्ड सरकार, सँची को सादर सूचनार्थ

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 11.01.2017 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, रामगढ एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय उन्मुखीकरन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी / गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंधनकर्ता पर नियमानुसार चालान / जुर्माना (रूपये 200 / - तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

| 1. | अनुमंडल पदाधिकारी | _ | अध्यक्ष |
|----|--|---|---------|
| | अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी | | सदस्य |
| | कार्यपालक दण्डाधिकारी | _ | सदस्य |
| 4. | अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी | - | सदस्य |
| | प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल मुख्यालय | = | समन्वयक |
| | अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी | _ | सदस्य |
| | संबंधित थानाध्यक्ष | _ | सदस्य |

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में उक्त छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित क्ररेंगे। इस काम में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें लें सकेंगे।

> उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, रामगढ ।

ज्ञापांक 09 (CS) / रामगढ दिनांक 16 0 1 2017

प्रतिलिपि:

प्रतिलिपि :

सभी नामित सदस्यों / सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला रामगढ / जिला शिक्षा पदाधिकारी रामगढ / उपाधीक्षक सदर अस्पताल, रामगढ / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, रामगढ / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ जिला अर्न्तगत / सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, रामगढ / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, रामगढ / सभी कार्यालय प्रधान, रामगढ जिला अर्न्तगत / श्रम अधीक्षक, रामगढ / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), रामगढ / जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, रामगढ,/अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ/ असैनिक चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ /उप—विकास आयुक्त, रामगढ /

अधीक्षक, रामगढ को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला जनसम्पंक पदाधिकारी, रामगढ को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर

विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगें।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला तम्बाक नियंत्रण समन्वय समिति, रामगढ ।

दिनांक 16 | 01 | 2017

्रेलिपि :

श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री आशीष पांण्डे, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन०सी०डी० सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :

अपर मुख्य सचिव, स्वा०चि० एवं शि० प०क० विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची क्रो, सूचनार्थ प्रेषित।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 11.01.2017 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, रामगढ एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय उन्मुखीकरन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता जो सार्वजनिक स्थलों, सरकारी / गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंधनकर्ता पर नियमानुसार चालान / जुर्माना (रूपये 200 / — तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

| 1 | प्रखंड | विकास | पदाधिकारी |
|---|--------|--------|-----------|
| | 740 | 199/11 | पदाविपगरा |

- 2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
- 3. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
- 4. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी
- 5. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक
- 6. संबंधित थानाध्यक्ष

- अध्यक्ष
- सन्वयक सदस्य
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में इस छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। वे आवश्यकतानुसार अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकेंगे। साथ ही उनके द्वारा प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें ली जा सकेंगी।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, रामगढ ।

ज्ञापांक... / रामगढ दिनांक... 16 01 2017

प्रतिलिपि :

प्रतिलिपि:

सभी नामित सदस्यों / सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला रामगढ / जिला शिक्षा पदाधिकारी रामगढ / उपाधीक्षक सदर अस्पताल, रामगढ / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, रामगढ / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ जिला अर्न्तगत / सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, रामगढ / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, रामगढ / सभी कार्यालय प्रधान, रामगढ जिला अर्न्तगत / श्रम अधीक्षक, रामगढ / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), रामगढ / जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, रामगढ, / अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ / असैनिक शल्य चिकित्सक — सह — मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ / उप — विकास आयुक्त, रामगढ / पुलिस

अधीक्षक, रामगढ को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला जनसम्पंक पदाधिकारी, रामगढ को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगें।

ज्ञापांक. 11 (CS) / रामगढ दिनांक. 16 01 2017

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society

(SEEDS) एवं श्री आशीष पांण्डे, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन०सी०डी० सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वा०चि० एवं शि० प०क० विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

3

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), रामगढ ।

आदेश

सार्वजिनक स्थानों पर धुम्रपान करना अपराध है। उल्लेखनीय है कि धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रिसत हो जाता है इसिलए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजिनक स्थानों पर धुम्रपान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में सार्वजिनक स्थानों पर धुम्रपान करते है।

जिले के सभी सार्वजिनक स्थलों यथा—बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतिक्षालय, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षिणिक संस्थान, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ केन्द्र/अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल/ रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजिनक स्थानों पर धुम्रपान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजिनक स्थानों पर कोई व्यक्ति धुम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, अल्लंधनकर्त्ता को रूपये 200/—तक जुर्माना किया जाएगा। बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है :—



अतः चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू० तक दंड की व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने—अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के तहत उल्लंधन करने वाले को 200 रू० तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ में

प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, रामगढ ।

ज्ञापांक 04 (cs) / रामगढ , दिनांक 11/01/2017

प्रतिलिपि :

सभी नामित सदस्यों / सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला रामगढ / जिला शिक्षा पदाधिकारी रामगढ / उपाधीक्षक सदर अस्पताल, रामगढ / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, रामगढ / / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ जिला अर्न्तगत / सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, रामगढ / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, रामगढ / सभी कार्यालय प्रधान, रामगढ जिला अर्न्तगत / श्रम अधीक्षक, रामगढ / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), रामगढ , जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, रामगढ / अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ / असैनिक शल्य चिकित्सक – सह – मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ / उप – विकास आयुक्त, रामगढ / पुलिस

अधीक्षक, रामगढ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:

जिला जनसम्पंक पदाधिकारी, रामगढ को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना और समाहरणालय परिसर एवं अन्य

सार्वजनिक स्थानो पर इस आशय का बोर्ड / होर्डिंग लगवाना सुनिश्चित करेंगें।/

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, रामगढ ।

ज्ञापांक 04 (CS) / रामगढ दिनांक 11 / 01/2017.

प्रतिलिपि :

श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री आशीश पांण्डे, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: राज्य नोडल पदाधिकारी, एन०सी०डी० सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपि: अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपि: अपर मख्य सचिव, स्वा०चि० एवं शि० प०क० विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेशित।

आदेश

रामगढ जिला के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार-प्रसार बैनर्स / पोस्टर्स / होर्डिंग्स / दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5(1) एवं 5(3) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार 'धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास/रूपये 1000/-(रूपये एक हजारे) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है"।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों / संस्थाओं / दुकानदारों / व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तंबाक् उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार-प्रसार करना बंद करें एवं रामगढ जिला में लगाये गये इस तरह के बैनर्स / पोस्टर्स / होर्डिंग्स / दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि संवत कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, रामगढ ।

प्रतिलिपि:

रामगढ जिला के सभी संबंधित एजेंसियों / संस्थाओं / तम्बाक् उत्पाद बेचनें वाले

दूकानदारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :

प्रशासक, रामगढ नगर निगम, रामगढ को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 05 (CS) / रामगढ दिनांक [1/01/20/7

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति. रामगढ ।

प्रतिलिपि:

ज्ञापांक..... / रामगढ दिनांक..... सभी नामित सदस्यों / सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला रामगढ / जिला शिक्षा पदाधिकारी रामगढ / उपाधीक्षक सदर अस्पताल, रामगढ / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, रामगढ / /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ जिला अर्न्तगत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, रामगढ /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, रामगढ / सभी कार्यालय प्रधान, रामगढ जिला अर्न्तगत / श्रम अधीक्षक, रामगढ / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), रामगढ , जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, रामगढ,/अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ/ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ / उप-विकास आयुक्त, रामगढ / पुलिस

अधीक्षक, रामगढ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:

जिला जनसम्पंक पदाधिकारी, रामगढ को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर

विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगें।

ज्ञापांक 05 (CS) / रामगढ दिनांक 11 01 2017.

श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society प्रतिलिपि:

(SEEDS) एवं श्री आशीश पांण्डे, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

राज्य नोडल पदाधिकारी, एन०सी०डी० सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेशित। प्रतिलिपि: अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेशित। प्रतिलिपि:

ा अक्षेत्र करण अवस्थित प्रमाण है जाने हुए।

अपर मुख्य सचिव, स्वा०चि० एवं शि० प०क० विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूर्यतार्थ प्रेशिन् प्रतिलिपि:

AND THE STREET WAS A CONTROL OF THE PARTY OF

the contract of the contract o

End other of the office of the grant will enter the second reservation of the second reservation and the first the

tions a first to the segment of the property of the second section of the second

泰国 高級 网络斯里克斯斯里克斯斯里克 "这个有事的人物的形式 的 有效的 特别 "一个 多种一种的一个 生活的

उपायक्त-सह-अध्यक्ष

व्यक्तिय आरोप्य स्थातवाच के स्थापित विकास के विकास में विकास के लिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय इन्हें के अपने अपने के अपने के किया है जिसके के समिति, रामगढ ।

suppressed the second of the s

7

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), रामगढ

आदेश

धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसिलए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA.2003 के धारा (6) के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकु मुक्त बनाने के लिए शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकु के दुष्प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स लगाने एवं दिवार लेखन का निर्देश दिया जाता है। जिस का प्रारूप निम्न प्रकार से है :-

तम्बाकू युक्त शिक्षण संस्थान

इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी
प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है,
उल्लंघन करने वालों पर 200/-रूपये तक का जुर्माना हो
सकता है।
आदेशानुसार
क्रिश्ण संस्थान के आंग्रिकारी का नामशिक्षण संस्थान के आंग्रिकारी का नाम-

जिला के सभी सरकारी / गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निदेशित किया जाता है कि अपने—अपने शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप का दिवार लेखन एवं 100 गज के दायरें में किसी भी प्रकार का तम्बाकु उत्पाद की बिकी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनि चत करें।

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दूष्परिणामों के बारें में जागरूक करने के उद्दे य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकु नियंत्रण पर प्रभात-फेरी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक महीने के समीक्षात्मक बैठक में इस तम्बाकू नियंत्रण के तहत की गयी कार्रवाई की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

उपाय्क्त-सह-अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, रामगढ ।

ज्ञापांक 06 (CS) / रामगढ , दिनांक 11 /01 / 2017 .

जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ /सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, रामगढ /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, रामगढ / जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकु नियंत्रण,कार्यकम रामगढ / असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :

जिला जनसम्पंक पदाधिकारी, रामगढ को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय ्य क्रिक्ट स्थानित, रामगढ ।

ज्ञापांक 06 (cs) / रामगढ दिनांक ...!.

प्रकार को संस्थात जनवर केंग्राम कानूनी आयात है.

दिनांक 11/01/2017

प्रतिलिपि:

श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री आशीश पांण्डे, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:

राज्य नोडल पदाधिकारी, एन०सी०डी० सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेशित। अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपि : प्रतिलिपि:

अपर मुख्य सचिव, स्वा०चि० एवं शि० प०क० विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ् प्रेशित।



आदेश

धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा 6 । के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानों पर यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है इस अधिनियम के अर्न्तगत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्नप्रकार से है :-



अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है

जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा- बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटिनयुक्त पान मसाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने दुकान पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेगें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू० तक दंड का प्रावधान है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, रामगढ ।

प्रतिलिपि :

ज्ञापांक O1 (CS) / रामगढ , दिनांक 09 01 2017

उप विकास आयुक्त, रामगढ / निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, रामगढ / सिविल सर्जन, रामगढ / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, रामगढ /अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ / जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ /सभी सी0डी0पी0ओ0, रामगढ / श्रम अधीक्षक, रामगढ / पुलिस अधीक्षक, रामगढ को सूचनार्थ एवं

अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :

जिला जनसम्पंक पदाधिकारी, रामगढ को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश, को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिि चत करेंगे।

ज्ञापांक 01 (CS) / रामगढ , दिनांक 09 (01) 2017

प्रतिलिपि :

श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society

(SEEDS) एवं श्री आशीश पांण्डे, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :

राज्य नोडल पदाधिकारी, एन०सी०डी० सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपि: प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेशित। अपर मुख्य सचिव, स्वा०चि० एवं शि० प०क० विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचन्रपूर्थ प्रेशित।